महत्वपूर्ण / समयबद्ध / स्मरण पत्र

संख्या–1070 / चि0–3–15–जी–06 / 2013,टी0सी0– ।

प्रेषक,

डा0 सारिका मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2015**

विषय :– प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों के सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 चिकित्सालयों में कार्यरत पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–922 / चि0–3–15–जी–06 / 2013 टी0सी0 । दिनांक 23.04.2015, पत्र संख्या–995 / चि0–3–15–जी–06 / 2013 टी0सी0 । दिनांक 01.05.2015 तथा पत्र संख्या–999 / चि0–3–15–जी–06 / 2013टी0सी0 । दिनांक 02.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रो की विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची मे शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका परिषदो एवं नगर पंचायतों मे स्थित सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 को छोड़कर) मे स्थित पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 को छोडा जाना था, जिसमें कई पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 जो शहरी क्षेत्रों मे स्थापित है, को भी ग्रामीण क्षेत्र मे प्रदर्शित किया गया है तथा कुछ पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 जो भौतिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र मे है, उनको सूची मे सम्मिलित नहीं किया गया है। उपर्युक्त त्रुटियों के सम्बन्ध मे समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों से स्थिति स्पष्ट कराते हुये प्रश्नगत त्रुटियों का निराकरण सुनिश्चित कर संशोधित सूचना 03 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु प्रश्नगत त्रुटियों का निराकरण करते हुये संशोधित सूचना शासन को अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

3– उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये थे कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लें कि शासन के पत्र दिनांक 23.04.2015 के अनुसार समस्त ग्रामीण क्षेत्रो मे अवस्थित सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 की सूची जो विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है, का सम्यक् अनुशीलन किया गया और सुनिश्चित कर लिया गया है कि अब उनके जनपद मे ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित कोई भी सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 ऐसी नहीं है, जो शहरी क्षेत्र मे स्थित हो और ग्रामीण क्षत्रों की सूची मे अंकित हो तथा ग्रामीण क्षेत्र की

सूची मे प्रदर्शित कोई भी ऐसी सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 नहीं है, जो शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हो। उपर्युक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि सूचना मे कोई त्रुटि पाई जायेगी तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

4- अतएव कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध मे व्यक्तिगत रूचि लेकर समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों से स्थिति स्पष्ट कराते हुये प्रश्नगत त्रुटियों का निराकरण कराकर सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के सम्बन्ध मे वांछित सूचना शासन को 03 दिन के अन्दर अवश्य उपलब्ध कराने कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 सारिका मोहन)
विशेष सचिव

संख्या– 1070 (1)/चि0–3–15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रभारी कम्प्यूटर सेल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0सी0 कटेरिया)
संयुक्त सचिव